

07

उत्तराखण्ड शासन,
प्रोटोकॉल अनुभाग,
संख्या: / प्रोटोकॉल/11/51(03)/2009
देहरादून, दिनांक: 08 अगस्त, 2011

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 एवं धारा-19 में लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। प्रोटोकाल विभाग के आदेश संख्या 210/XXXIII/2006 दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये गये थे।

2. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 990/XXX-1-2011 दिनांक 13 जुलाई, 2011 द्वारा अपर सचिव, प्रोटोकॉल विभाग का पदभार दिए जाने के फलस्वरूप प्रोटोकाल विभाग के आदेश संख्या 210/XXXIII/2006 दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस अधिनियम के अर्न्तगत निर्दिष्ट कार्य हेतु निम्नानुसार नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	प्रोटोकॉल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	उप सचिव, प्रोटोकॉल विभाग	अपर सचिव प्रोटोकॉल विभाग

भवदीय
(के0एस0बिष्ट)
उप सचिव

संख्या: 610 (1)/ प्रोटोकॉल/11/51(03)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
- 3- अपर सचिव/उप सचिव, प्रोटोकॉल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(के0एस0बिष्ट)
उप सचिव